



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60313

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1996/2026

विश्वंबर दयाल

..... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता : आनंद मोहन पांडे, धर्मेन्द्र सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि इसे स्वीकार किया जाए , विचारण न्यायालय से मामले के अभिलेख मंगवाए जाएं और विशेष न्यायाधीश (डीएए)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.02.2026 को अपास्त किया जाए, जो कि एसटी संख्या 2203/2025 (राज्य बनाम खेतपाल) में दर्ज है, जो कि अपराध संख्या 222/2025, धारा 231 बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन जसराना, जिला फिरोजाबाद में दर्ज है और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- द्वितीय, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद की अदालत में लंबित है। इस याचिका में प्रतिपक्षी संख्या 2 को धारा 231 बीएनएस के तहत बरी कर दिया गया है और धारा को धारा 217 बीएनएस में परिवर्तित कर दिया गया है।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रतिपक्षी संख्या 2 ने सूचनादाता के रूप में जिला सहकारी बैंक, जसराना से निकाले गए 4,40,000 रुपये

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की डकैती के लिए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में मोटरसाइकिल का खुलासा किया गया था। जांच के दौरान , उपर्युक्त राशि स्वयं सूचनादाता के घर से बरामद की गई, जिसके परिणामस्वरूप जांच अधिकारी ने स्वयं सूचनादाता को आरोपी के रूप में फंसाया और धारा 231 बीएनएस के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप तय करने के चरण में, सूचनादाता/आरोपी खेतपाल द्वारा बरी करने के लिए एक आवेदन दिया गया था , जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने 03.02.2026 के आदेश द्वारा निर्णय लिया , जिसमें धारा 231 बीएनएस के तहत बरी करने का आदेश पारित किया गया , लेकिन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विचारणीय होने के कारण धारा 217 बीएनएस के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया गया और मामले को उस अदालत को भेज दिया गया। आगे यह निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय ने अपराध को धारा 217 बीएनएस के दायरे में रखकर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया है , जबकि सूचनादाता/आरोपी द्वारा किया गया अपराध धारा 231 बीएनएस के दायरे में आता है। अतः निवेदन है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2026 को पारित आदेश को अपास्त किया जाए और पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाए।

विद्वान एजीए ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि सूचनादाता ने पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुई डकैती के बारे में केवल झूठी सूचना दी थी , जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसने कोई भी साक्ष्य तैयार या गढ़ा नहीं था और न ही उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था , इसलिए धारा 231 बीएनएस के तहत अपराध सिद्ध नहीं होता है , लेकिन झूठी सूचना के लिए धारा 217 बीएनएस लागू होती है। संबंधित न्यायालय ने अभिलेख में मौजूद सामग्री के आधार पर आदेश पारित किया है , जिसे अवैध नहीं कहा जा सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों , याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और माननीय एजीए द्वारा दिए गए तर्कों, अभिलेखों के अवलोकन, माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2026 को पारित आदेश और एफआईआर की सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि सूचनादाता/आरोपी खेतपाल ने अज्ञात अपराधी के खिलाफ मोटरसाइकिल से 4,40,000 रुपये की डकैती के संबंध में केवल झूठी सूचना दी थी , जिसमें मोटरसाइकिल का नंबर भी बताया गया था जो पुनरीक्षणयाची का था। जांच के दौरान यह पाया गया कि कथित तौर पर लूटी गई धनराशि सूचनादाता ने अपनी अलमारी में रखी थी और पुनरीक्षणयाची को झूठा फंसाने के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन में झूठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



सूचना दी गई थी। परिणामस्वरूप, जांच अधिकारी ने पुनरीक्षणयाची को दोषमुक्त कर दिया और सूचनादाता/प्रतिपक्षी संख्या 2 पर धारा 231 बीएनएस के तहत अपराध का आरोप पत्र दाखिल किया।

धारा 231 बीएनएस में प्रावधान है कि:-

"आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।

231. जो कोई, इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय न हो किन्तु आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, दोषसिद्ध करवाता है, मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोषसिद्ध होता।

दृष्टांत क- न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि उसके द्वारा य डकैती के लिए दोषसिद्ध किया जाए। डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास है, जो दस वर्ष तक की अवधि का हो सकता है। क इसलिए जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है।"

धारा 217 बीएनएस में यह प्रावधान है कि:-

"इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे

217. जो कोई, किसी लोक सेवक को कोई ऐसी सूचना, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देता है कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह सम्भाव्य जानते हुए देता है कि वह उसको उसके द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक सेवक , यदि उसे उस संबंध में, जिसके बारे में ऐसी सूचना दी गई है , तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता; या

(ख) ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो,

वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।“

विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 231 बीएनएस के सार का अवलोकन करने के बाद पाया कि उसके द्वारा कोई साक्ष्य तैयार या गढ़ा नहीं गया था , बल्कि यह केवल गलत सूचना थी जो धारा 217 बीएनएस के तहत दंडनीय थी।

धारा 231 और 217 बीएनएस की सामग्री के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि किसी अपराध के घटित होने के संबंध में झूठी सूचना धारा 217 बीएनएस के तहत दंडनीय है, न कि धारा 231 बीएनएस के तहत , इसलिए, आरोपी/सूचनादाता द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध प्रथम दृष्टया धारा 217 बीएनएस के दायरे में आता है। इस प्रकार , विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2026 को पारित आदेश को अवैध या त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका योग्यताहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

इसलिए, यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रवेश स्तर पर ही खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

24 मार्च, 2026

अशोक गुप्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।